

स्वराज संस्थान संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

धारा-4(1)(ख) अंतर्गत पुस्तिका
वर्ष 2018-19

स्वराज संस्थान संचालनालय

रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल-462002

फोन/फैक्स : 0755-2660563,2660407 / 2660361

ईमेल- swarajbhavan@gmail.com,

swarajbhawan2@gmail.com

प्रस्तावना

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को महामहिम राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति दिनांक 15 जून, 2005 के अनुक्रम में भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2, पार्ट-2, अनुभाग-1 नयीदिल्ली,, मंगलवार, जून 21, 2005 में प्रकाशित किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक लोकप्राधिकारी के क्रियाकलाप में पारदर्शिता और जवाबदेही उन्नत करने के लिए लोकप्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन नागरिकों को सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग का गठन तथा सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए तथा उससे सम्बद्ध विषयों या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम; प्रवर्त किया गया है।

इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11-11/05/1/9 दिनांक 20/6/2005 द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग अंतर्गत स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा उक्त मेनुअल (हस्त पुस्तिका) तैयार की गयी है।

स्वराज संस्थान संचालनालय के कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए यह हस्त पुस्तिका तैयार की गयी है। इस पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी तथा अन्य जानकारियों के लिए स्वराज संस्थान संचालनालय के संचालक तथा सहायक संचालक से संपर्क किया जा सकता है। हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि से सम्बन्धित विवरणों का समावेश भी पुस्तिका में किया गया है।

अध्याय—एक (मैनुअल—1)

स्वराज संस्थान संचालनालय की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

प्रमुख कार्य / उद्देश्य / गतिविधियाँ

1. स्वाधीनता संघर्ष से लेकर स्वराज तक की बहुविध प्रश्नों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय गतिविधियों का केन्द्र।
2. स्वाधीनता संघर्ष के स्मृति चिन्हों को एकत्रित कर प्रदर्शित करना।
3. भारत और दुनिया भर में हुए स्वाधीनता संघर्ष पर केन्द्रित फिल्मों, समाचार-पत्रों, पुस्तक, चित्रों और अन्य माध्यमों की रचनाओं का संग्रह, निर्माण एवं प्रदर्शन।
4. व्याख्यान, गोष्ठियों, अध्ययन, शोध आदि कार्यक्रमों का आयोजन।
5. दुर्लभ, प्रामाणिक, ऐतिहासिक एवं अन्य विविध ग्रंथों का संग्रह एवं प्रकाशन।
6. विभागीय वेबसाइट का प्रवर्तन संचालन।
7. डॉ.शंकरदयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम राज्य संग्रहालय।
8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/महापुरुषों की जयन्ती/पुण्यतिथि अवसर पर आयोजन।

1.1 संचालनालय का मिशन/विजन

स्वाधीनता से लेकर स्वराज तक के बहुविध प्रश्नों पर केन्द्रित उच्च स्तरीय गतिविधियों के केन्द्र के रूप में स्थापित स्वराज संस्थान संचालनालय अपने उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में सक्रिय है।

स्वाधीनता संघर्ष के स्मृति चिन्हों के एकत्रीकरण एवं प्रदर्शन, भारत और दुनिया भर में हुए स्वाधीनता संघर्ष पर केन्द्रित फिल्मों, समाचार-पत्रों, पुस्तकों, चित्रों और अन्य माध्यम की रचनाओं के संग्रहण, निर्माण एवं प्रदर्शन, व्याख्यान गोष्ठियों, अध्ययन-शोध आदि कार्यक्रमों का आयोजन, दुर्लभ प्रामाणिक ऐतिहासिक एवं अन्य विविध ग्रंथों का संग्रह एवं प्रकाशन, विभागीय वेबसाइट का प्रवर्तन-संचालन, डॉ. शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं पुस्तकालय का संचालन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/शहीदों को समर्पित शताब्दी/जयन्ती आयोजन तथा बहुआयामी उच्च स्तरीय गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।


1.2 संचालनालय का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

स्वतंत्रता की 40 वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वतंत्रता स्मारक भवन स्थापित कर स्वतंत्रता संग्राम से सम्बन्धित वस्तुओं का संग्रह, स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फोटो प्रदर्शनी, पुस्तकों एवं दस्तावेजों का एक पुस्तकालय और अन्य वीथिकाएँ मुख्यतः रखे जाने का निर्णय किया गया था। तदनुसार इसी अनुक्रम में संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1384/सं/30/98 दिनांक 1 मई, 1998 द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय की स्थापना की गयी। संचालनालय का मुख्यालय भोपाल में स्थित है तथा वर्तमान में इसका जिला स्तरीय अन्य कोई कार्यालय नहीं है। कार्यालयीन दिवसों में कार्यालय समय सुबह 10.30 से सांय 5.30 निर्धारित है।

स्थापित इस भवन का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह द्वारा 15 अगस्त, 1988 को किया गया तथा निर्माण कार्य दिसम्बर 1989 में हुआ। भवन की वास्तु कल्पना पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफको) द्वारा तथा निर्माण राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा किया गया है।

महामहिम पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा द्वारा उक्त संग्रहालय एवं वाचनालय के लिए अपने संग्रह की बहुमूल्यवान वस्तुएँ तथा पुस्तकें कृपापूर्वक प्रदान की गईं तथा उनकी गौरवमयी उपस्थिति में इसका लोकार्पण मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी द्वारा 13 जुलाई, 1997 को किया गया। म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. 1275-1837-सं.-तीस-03 द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अधीन डॉ. शंकरदयाल शर्मा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय को राज्य स्तरीय संग्रहालय घोषित किया गया।

संरचनात्मक ढांचा



अध्याय – दो (मैनुअल – 2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य

1. संचालक

संचालनालय के विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के रूप में समस्त नीति निर्णय, प्रशासनिक नियंत्रण, वार्षिक बजट, आहरण-संवितरण, वार्षिक योजना का निर्धारण, क्रियान्वयन एवं विकासात्मक गतिविधियों का संचालन। मध्यप्रदेश वित्त संहिता के अधीन वित्तीय शक्ति पुस्तिका 1995 अनुसार विभागाध्यक्ष को प्रदत्त समस्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार कार्य किया जाता है।

2. सहायक संचालक

संचालनालय के समस्त प्रशासनिक, लेखा एवं स्थापना सम्बन्धी मामले। बजट, आडिट, विधानसभा प्रश्न, जन शिकायत निवारण, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव मानिट्रिंग, परामर्शदात्री समिति की बैठक, एकल नस्ती समीक्षा मानिट्रिंग, न्यायालयीन प्रकरण, स्वराज भवन विस्तार इत्यादि विषयों में पत्राचार एवं प्रशासकीय विभाग से समन्वय, विभागीय आयोजन तथा संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

3. सहायक ग्रंथपाल

डॉ.शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं ग्रंथालय का संधारण एवं रख-रखाव, ग्रंथालय की कंप्यूटरीकृत कैटलॉगिंग, संचालनालय के प्रकाशनों का संधारण, शहीद स्मारक भवन का रख-रखाव एवं संधारण, फर्नीचर एवं उपकरणों का रख-रखाव एवं क्रय सम्बन्धी प्रस्ताव, सम्बन्धित देयकों का प्रस्तुतीकरण, सभागृह का आरक्षण, रखरखाव, कार्यक्रमों/ आयोजनों में सहयोग तथा संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

4. लेखापाल

संचालनालय के लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य, वार्षिक बजट, योजना मंडल प्रस्ताव, प्रशासकीय विभाग/वित्त विभाग से समन्वय, बजट एवं लेखा सम्बन्धी जानकारी का संकलन, लेखा सम्बन्धी कार्यालयीन स्वीकृतियाँ/ आदेश, नस्तियों का लेखा परीक्षण एवं भुगतान प्रस्ताव, अधिकारियों/ कर्मचारियों के आयकर तथा संचालनालय के आयकर सम्बन्धी कार्य। विभागीय आयोजन सम्बन्धी यथा निर्देशित कार्य।

5. कार्यक्रम सहायक

विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रस्तावों/ नस्तियों का प्रस्तुतीकरण एवं पत्राचार, कार्यक्रमों/ आयोजनों सम्बन्धी कार्य एवं सम्बन्धित नस्तियों का संधारण, स्थापना सम्बन्धी कार्य, निजी नस्तियों का रख-रखाव, अर्जित, चिकित्सा एवं अन्य अवकाश का संधारण, कर्मचारियों को वर्दी प्रदाय, कार्यालयीन स्टेशनरी इत्यादि का क्रय एवं भंडारण, कंप्यूटर का संचालन एवं संधारण। संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

6. सहायक ग्रेड-3

कैशियर से सम्बन्धित समस्त कार्य, बैंक/ट्रेजरी सम्बन्धी कार्य, समस्त भुगतान देयक तैयार करना, बिल रजिस्टर/बीटीआर में प्रविष्टि, कोषालय के आपत्ति का निराकरण वेतन पर्ची, जी.पी.एफ., डी.पी.एफ. पास बुक एवं समस्त अग्रिमों की पंजी का संधारण, लेखा पुस्तकें, केशबुक, कंटेनर्जेंसी रजिस्टर का संधारण, भुगतान प्रस्तावों का सम्बन्धित नस्ती में प्रस्तुतीकरण।

7. वाहन चालक

स्वराज संस्थान संचालनालय की वाहन का संधारण एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त कार्य। संचालक द्वारा निर्देशित समस्त कार्य।

8. भृत्य (तीन पद)

स्वराज संस्थान संचालनालय से सम्बन्धित डाक का वितरण, नस्तियों आदि को विभाग में ले जाना, कोशालय से सम्बन्धित कार्य एवं देयकों का लगाना, टेलीफोन, पानी, बिजली आदि देयकों को जमा करना, संचालक महोदय एवं अन्य अधिकारियों-कर्मचारियों के कार्यालयीन कार्य निष्पादित करना, लायब्रेरी की पुस्तकों आदि को जमाना, कार्यालयीन रख-रखाव एवं अन्य कार्यालयीन कार्यों का संपादन।

अध्याय – तीन (मैनुअल – 3)

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है।


संचालनालय की गतिविधियों से सम्बन्धित कार्य समय-सीमा में निपटाये जाने वाले कार्यों के लिए मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20-17/2000/सं/30 दिनांक 28 सितम्बर 2000 द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के बीच एकल नस्ती प्रणाली प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कार्य निष्पादित किये जाते हैं।

अध्याय – चार (मैनुअल – 4)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मापमान

संचालनालय द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानक अंतर्गत कार्यालय में प्राप्त प्रकरणों का निपटारा नीचे उल्लिखित मापमान अनुसार किया जाता है :-

कार्यालय में अपनायी जाने वाली निर्णय/प्रक्रिया



अध्याय – पाँच (मैनुअल – 5)
अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा
अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम,
अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

अभिलेख का नाम स्वराज भवन सभागार आरक्षण	अभिलेख का प्रकार नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत स्वराज भवन सभागार उपयोग के लिए आरक्षण शुल्क का निर्धारण एवं प्रक्रिया का विवरण इन नियमों में उल्लिखित किया गया है।	
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?	
पता : स्वराज संस्थान संचालनालय रवीन्द्रभवन परिसर,भोपाल-2 दूरभाष : 0755-2660563, 2660407 फैक्स : 0755-2660361 ई-मेल : swarajbhavan@gmail.com	
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	
निःशुल्क	

अभिलेख का नाम स्वाधीनता फ़ैलोशिप	अभिलेख का प्रकार नियम
अभिलेख का संक्षिप्त परिचय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य के लिए रुपये एक-एक लाख की स्वाधीनता फ़ैलोशिप इस योजनांतर्गत स्थापित की गयी है।	
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?	
पता : स्वराज संस्थान संचालनालय रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2 दूरभाष : 0755-2660563, 2660407 फैक्स : 0755-2660361 ई-मेल:swarajbhavan@gmail.com	
नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)	
निःशुल्क	

अभिलेख का नाम

अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा की पावनता एवं गौरव को अलंकृत करने तथा इस क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया जायेगा।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता : स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल-2

दूरभाष : 0755-2660563, 2660407

फैक्स : 0755- 2660361

ई-मेल:swarajbhavan@gmail.com

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

निःशुल्क

अभिलेख का नाम

महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान

अभिलेख का प्रकार

नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता के लिए श्रेष्ठतम उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया जायेगा।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता : स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल-2

दूरभाष : 0755-2660563, 2660407

फैक्स : 0755- 2660361

ई-मेल:swarajbhavan@gmail.com

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

निःशुल्क

अभिलेख का नाम
महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान

अभिलेख का प्रकार
नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया जायेगा।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता : स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2

दूरभाष : 0755-2660563, 2660407

फैक्स : 0755- 2660361

ई-मेल : swarajbhavan@gmail.com

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

निःशुल्क

अभिलेख का नाम
वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान

अभिलेख का प्रकार
नियम

अभिलेख का संक्षिप्त परिचय

देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान दिया जायेगा।

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ?

पता : स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर,भोपाल-2

दूरभाष : 0755-2660563, 2660407

फैक्स : 0755- 2660361

ई-मेल : swarajbhavan@gmail.com

नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की प्रति को प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो)

निःशुल्क

अध्याय – छ: (मैनुअल – 6)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

6.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

क्र.	प्रवर्ग	दस्तावेज का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया	धारक / नियंत्रणाधीन
1.	नियम	सभागार आरक्षण हेतु आवेदन	निर्धारित प्रपत्र कार्यालयीन समय में उपलब्ध	सहायक ग्रंथपाल
2.	नियम	स्वाधीनता फ़ैलोशिप	सादे कागज पर (विज्ञापन अनुसार)	सहायक संचालक
3.	नियम	अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान	सादे कागज पर (विज्ञापन अनुसार)	कार्यक्रम सहायक
4.	नियम	महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान	सादे कागज पर (विज्ञापन अनुसार)	कार्यक्रम सहायक
5.	नियम	महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान	सादे कागज पर (विज्ञापन अनुसार)	कार्यक्रम सहायक
6.	नियम	वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान	सादे कागज पर (विज्ञापन अनुसार)	कार्यक्रम सहायक

अध्याय – सात (मैनुअल – 7)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

राज्य शासन द्वारा इस बाबत समय-समय पर गठित समितियों के निर्णयानुसार यथा निर्देशित कार्रवाई की जाती है।

अध्याय – आठ (मैनुअल – 8)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

- 8.1 धर्मपाल शोधपीठ** – आज़ादी के पूर्व तथा आज़ादी के बाद भारत की संस्कृति, परम्पराओं, जीवन पद्धतियों के संरक्षण संवर्धन, स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों तथा स्वराज के जीवन एवं बहुआयामी इतिहास के अध्ययन, अनुशीलन, शोध, प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी, सेमिनार तथा विविध कार्यक्रमों के आयोजन, दुर्लभ, प्रामाणिक, ऐतिहासिक तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं-पुस्तकों का संग्रह एवं प्रकाशन, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रमों, शोध एवं प्रशिक्षणों के लिए राज्य शासन द्वारा धर्मपाल शोधपीठ की स्थापना की गई।
- 8.2 महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ** – महाराजा विक्रमादित्य तथा उनके समकालीन चिंतकों, मनीषियों, सर्जकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का शोध, अध्ययन एवं अनुशीलन के लिए राज्य शासन द्वारा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ की स्थापना की गई।
- 8.3 वीर भारत न्यास** – युग-युगीन भारत के महानतम वीरों, संतों, मनीषियों चिन्तकों एवं सत्पुरुषों के कालजयी चरित्रों, वाणियों और प्रेरणाओं का पुनर्उद्घाटन, रेखांकन एवं वाणियों का ध्वन्यांकन, भारत की तेजस्विता एवं पराक्रम के विभिन्न आयामों का व्यापक रूप से प्रस्तुतिकरण, भारत के गौरवशाली और पराक्रमी अतीत से जनसामान्य का परिचय, राष्ट्रीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण, संवर्धन एवं अनुरक्षण की दिशा में वित्तीय, तकनीकी, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, अकादमिक तथा बौद्धिक सहायता प्रदान करना, देश एवं प्रदेश की पारम्परिक कला, हस्तशिल्प, संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य, सांस्कृतिक मूल्य एवं दक्षता की प्रामाणिक पहचान करना, सृजनशीलता तथा नवाचार से जुड़ी गतिविधियों के प्रोत्साहन एवं विचारों के आदान-प्रदान के लिए कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि के लिए राज्य शासन द्वारा वीर भारत न्यास की स्थापना की गई है।

अध्याय – नौ (मैनुअल-9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	एस. टी.डी. कोड	दूरभाष		फैक्स	ईमेल	पता
				कार्या.	निवास			
1.	श्री पंकज राग	आयुक्त सह संचालक	0755	2708451 2708455	—	—	cmantaralaya@gmail.com, psculture30@gmail.com	आईएस ऑफिसर्स मेस, चार इमली, भोपाल
2.	श्री संजय यादव	सहायक संचालक	0755	2660563 2660407	2420604	2660361	swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com	ईएन-2/21, उपांत कॉलोनी, चार इमली, भोपाल
3.	श्री राजेश कोहली	सहायक लाइब्रेरियन	0755	2660563 2660407	2571015	2660361	swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com	9, सौम्या एन्क्लेव, जानकी नगर, चूना भट्टी, भोपाल
4.	श्री मधुसूदन गारवे	लेखापाल	0755	2660563 2660407	2420867	2660361	swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com	जी-2/127/1100, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
5.	श्री प्रदीप अग्रवाल	सहायक कार्यक्रम	0755	2660563 2660407	2748705	2660361	swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com	ए-1326, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, करौंद, भोपाल
6.	श्री नलिन शंकर मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	0755	2660563 2660407	9893099891	2660361	swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com	118-ए/36, शिवाजी नगर, भोपाल

अध्याय— दस (मैनुअल-10)

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत नियमित वेतनमान अनुसार वेतन-भत्तों का भुगतान किया जाता है। पृथक से कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वेतनमान	पारितोषिक / पारितोषिक भत्ता	वेतन के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गयी हो
1.	श्री पंकज राग	आयुक्त सह संचालक	सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
2.	श्री संजय यादव	सहायक संचालक	67300-206900	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
3.	श्री राजेश कोहली	सहायक ग्रंथपाल	67300-206900	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
4.	श्री मधुसूदन गारवे	लेखापाल	42700-135100	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
5.	श्री प्रदीप अग्रवाल	कार्यक्रम सहायक	42700-135100	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार
6.	श्री नलिन शंकर मिश्रा	सहायक ग्रेड-3	25300-80500	—	मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार

अध्याय— ग्यारह (मैनुअल-11)

प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट

(सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

स्वराज संस्थान संचालनालय को वर्ष 2018-19 में आवंटित बजट :-

क्र. सं.	मद	प्रस्तावित बजट	स्वीकृत बजट	शासन द्वारा प्रदत्त (किशतों में)	कुल व्यय
1.	स्वराज संस्थान संचालनालय	2,03,22,000	1,98,99,400	—	1,20,09,821
2.	राष्ट्रीय सम्मान	20,00,000	18,00,000	—	14,55,243
3.	दृश्य एवं श्रव्य प्रदर्शन	5,00,000	4,50,000	—	0
4.	रेडियो आज़ाद हिन्द	1,00,00,000	90,00,000	—	66,58,983
5.	धर्मपाल शोधपीठ	50,00,000	45,00,000	—	45,00,000
6.	विक्रमादित्य शोधपीठ	60,00,000	54,00,000	—	54,00,000
7.	नाट्य मंचन	10,00,000	9,00,000	—	0
8.	जननायक टंट्या भील की जन्मस्थली पर स्मारक	15,00,000	13,50,000	—	0
9.	शहीद भवन	62,50,000	62,25,000	—	29,55,816
10.	भीमानायक प्रेरणा केन्द्र	8,01,000	8,01,000	—	0
11.	स्वाधीनता सेनानियों/महापुरुषों की जयंती/पुण्यतिथि समारोह	95,00,000	85,50,000	—	84,61,358
12.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं वाचनालय का संचालन	1,53,01,000	1,52,21,000	—	1,02,83,024
13.	स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों का संकलन/ दस्तावेजीकरण/प्रदर्शन	1,90,00,000	1,71,00,000	—	1,46,66,582
14.	वीर भारत योजना	1,00,00,000	90,00,000	—	90,00,000
15.	शौर्य स्मारक	3,50,00,000	3,30,00,000	—	2,71,82,733
	योग (राजस्व व्यय)	14,21,74,000	13,31,96,400	—	10,25,73,560
16.	आज़ाद स्मृति मंदिर स्मारक	20,00,000	20,00,000	—	0
17.	डॉ. शंकरदयाल शर्मा संग्रहालय एवं वाचनालय का संचालन (लघु निर्माण)	5,00,000	5,00,000	—	0
18.	वीर भारत योजना	9,00,00,000	9,00,00,000	—	9,00,00,000
19.	शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण	50,01,000	50,00,900	—	35,00,000
20.	शौर्य स्मारक	2,00,00,000	2,00,00,000	—	65,84,187
21.	भीमानायक प्रेरणा केन्द्र	1,000	1,000	—	0
	योग (पूँजीगत परिव्यय)	11,75,02,000	11,75,01,900	—	10,00,84,187
	कुल योग	25,96,76,000	25,06,98,300	—	20,26,57,747

अध्याय– बारह (मैनुअल–12)

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है;

स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान योजना से सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है।

अध्याय – तेरह (मैनुअल-13)

अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्रधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

बौद्धिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्वराज सभागार न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराया जाता है जो निम्नानुसार है :-

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित सभागार आरक्षण से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्र. 1478-2571-सं.-तीस-02- राज्य शासन, एतद्द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत स्वराज भवन सभागार उपयोग के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है:-

नियम

1. आरक्षण शुल्क एवं प्रतिभूति विविध शुल्क की राशि जमा करने के पश्चात् ही आरक्षण मान्य होगा, आरक्षण के लिए कम से कम 10 दिन पूर्व संलग्न प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. सभागार आरक्षण के लिए निम्नानुसार शुल्क देय होगा:-
 1. वातानुकूलन सहित छह घंटे के लिए रुपये 1500/- प्रति दिवस
 2. वातानुकूलन सहित छह घंटे से अधिक के लिए रुपये 3000/- प्रति दिवस
 3. वातानुकूलन रहित छह घंटे के लिए रुपये 500/- प्रति दिवस
 4. वातानुकूलन रहित छह घंटे से अधिक के लिए रुपये 1000/- प्रति दिवस
 5. संस्कृति विभाग की संस्थाओं के लिए रुपये 250/- प्रति दिवस
 6. संचालनालय के उद्देश्यों के पूर्णतः अन्तर्गत तथा सहभागिता से आयोजित कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क (शासन की पूर्व अनुमति से)
3. उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए आरक्षण के समय प्रतिभूति राशि रुपये 1000/- कार्यालय में जमा करायी जाना आवश्यक होगी। जो कि आयोजन के पश्चात् वापसी योग्य होगी।
4. सभागार जिस स्थिति में सौंपा जायेगा उसी स्थिति में वापस सौंपना होगा।
5. सभागार/परिसर में आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की टूट-फूट एवं अस्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी। किसी भी प्रकार के नुकसान/अस्वच्छता की भरपाई जमा सुरक्षा राशि से की जायेगी।

6. सभागार में पेय अथवा खाद्य पदार्थ नहीं दिया जायेगा। धूम्रपान एवं मानक पेय सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित है।
7. सभागार में टेन्ट, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था आयोजकों द्वारा स्वयं की जाना होगी।
8. अतिरिक्त विद्युत एवं ध्वनि व्यवस्था के लिए निर्धारित पाइन्ट्स से ही कनेक्शन लिया जाना अनिवार्य है। डायरेक्ट विद्युत लाईन लेना एवं दीवारों पर कील इत्यादि ठोकना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
9. सभागार रात्रि 9.00 बजे तक ही उपलब्ध हो सकेगा।
10. सभागार में टिकिट से होने वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं।
11. संचालनालय के अनुमोदन उपरांत ही प्रचार सामग्री यथा निर्दिष्ट स्थान पर लगायी जावेगी।
12. स्वराज संस्थान संचालनालय के सहयोग से आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम की प्रचार सामग्री (विज्ञापन, बैनर, पैम्पलेट, पोस्टर, प्रेस समाचार आदि) एवं निमंत्रण पत्र में **"सहयोग स्वराज भवन"** का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य होगा। साथ ही निमंत्रण पत्र/प्रचार सामग्री की पाँच प्रतियाँ कार्यालय सन्दर्भ के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होगी।
13. कार्यक्रम के दौरान किसी भी तकनीकी खराबी से ए.सी. संयंत्र एवं विद्युत में खराबी उत्पन्न होने की स्थिति में आयोजक को स्वयं वैकल्पिक व्यवस्था करना होगी।
14. सभागार उपलब्ध कराये जाने अथवा न कराये जाने तथा विशेष परिस्थितियों में आवंटन रद्द करने का पूर्ण अधिकार संचालक, स्वराज संस्थान को होगा।
15. स्वराज भवन परिसर बिना शासन को अनुमति से किसी भी संस्था/व्यक्ति को किसी भी प्रयोजनार्थ उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,**

प्रति,

आयुक्त सह संचालक
स्वराज संस्थान संचालनालय,
भोपाल

विषय:— स्वराज भवन सभागार उपलब्ध कराये जाने बाबत।

महोदय,

हमें दिनांक को समय से
..... तक सभागार की आवश्यकता है।

1. संस्था का नाम
2. संस्थान का पूरा पता
3. संस्था का पंजीयन क्रमांक
4. संपर्क के लिए फोन नंबरकार्यालय
.....निवास
5. कार्यक्रम का समय
6. कार्यक्रम का विवरण

अभिकथन

सभागार आवंटन के लिए निर्धारित शर्तें हमें मान्य हैं। कार्यक्रम अवधि में किसी भी प्रकार के नुकसान/अस्वच्छता या टूट-फूट का हर्जाना भरने के लिए तैयार हूँ।

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम :

पता :

फोन :

(कार्यालयीन उपयोग के लिए)

सभागार आवंटित किया जाये/आवेदन अस्वीकृत।

आयुक्त सह संचालक
स्वराज संस्थान संचालनालय

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित स्वाधीनता फ़ैलोशिप से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्र. एफ 4-7-2004-तीस-सं.- राज्य शासन, एतद्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत "स्वाधीनता फ़ैलोशिप" के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है:-

नियम

स्वाधीनता फ़ैलोशिप

1. **योजना का नाम**
यह योजना "स्वाधीनता फ़ैलोशिप" के नाम से जानी जायेगी।
2. **उद्देश्य**
स्वाधीनता फ़ैलोशिप की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य करना है।
3. **संख्या**
प्रतिवर्ष अधिकतम तीन फ़ैलोशिप प्रदान की जायेगी जिनमें से दो आदिवासी क्षेत्र में शोध कार्य के लिए रक्षित रहेंगी।
4. **फ़ैलोशिप की राशि**
फ़ैलोशिप की राशि प्रति अध्येता रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) होगी जिसमें अध्येता का पारिश्रमिक, शोध कार्य के लिए की जाने वाली यात्राएँ, कम्पोजिंग कार्य, स्टेशनरी एवं समस्त व्यय समाहित होंगे।
5. **अवधि**
फ़ैलोशिप की अवधि छह माह के लिए होगी। निश्चित समयावधि में ही शोध कार्य किया जाना होगा।
6. **पात्रता**
 - (क) फ़ैलोशिप 35 वर्ष से अधिक आयु के अध्येताओं को प्रदान की जावेगी। आयु की गणना संबंधित वर्ष में 1 अप्रैल की स्थिति अनुसार की जावेगी।
 - (ख) फ़ैलोशिप स्वाधीनता संग्राम/राजनीति/समाजशास्त्र/आर्थिकी/साहित्य से संबंधित क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित करने अथवा विशेषाकृत अनुसंधान का अनुभव रखने वाले आवेदक को दी जायेगी।
7. **अन्य शर्तें**
 - (क) आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी हो।
 - (ख) आवेदक को फ़ैलोशिप के दौरान किये जाने वाले शोध कार्य का एक स्पष्ट प्रोजेक्ट देना होगा जो कि छः माह की अवधि में निश्चित रूप से पूरा हो सके। विशेष प्रकरण में समयावधि बढ़ाने का अधिकार संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को होगा।
 - (ग) आदिवासी क्षेत्र अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली फ़ैलोशिप में आदिवासी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम के विविध पक्षों, घटनाओं, व्यक्तियों और प्रवृत्तियों पर शोध कार्य किया जाना होगा।

- (घ) फ़ैलो को अपने कार्य की प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह स्वराज संस्थान संचालनालय को प्रेषित करना होगा।
- (ङ) फ़ैलोशिप के संदर्भ में किये गये शोध कार्य का प्राथमिक मूल्यांकन फ़ैलोशिप स्वीकृत करने के दो माह बाद किया जायेगा। यदि फ़ैलो के कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है तो उक्त फ़ैलोशिप वापस लिये जाने का अधिकार स्वराज संस्थान संचालनालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा, मूल्यांकन आधार पर फ़ैलोशिप की प्रथम किश्त रुपये 30,000/- तीसरे माह जारी की जावेगी। पाँचवे माह में कार्य प्रगति के आधार पर द्वितीय किश्त रुपये 40,000/- तथा शोध कार्य पूर्ण कर सौंपने पर छह माह पश्चात् अंतिम किश्त रुपये 30,000/- जारी की जायेगी।
- (च) फ़ैलोशिप के दौरान किये गये शोध कार्य का प्रकाशन और प्रदर्शन का अधिकार स्वराज संस्थान संचालनालय को होगा।

8. चयन प्रक्रिया

- (क) फ़ैलोशिप प्रदान किये जाने के आवेदन-पत्र सीधे स्वतंत्रता सेनानियों/लेखकों/कलाकारों/साहित्यकारों/सृजनकर्मियों से/विज्ञापन/पत्र के माध्यम से आमंत्रित किये जावेंगे। इसके अलावा प्रदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि से भी उपयुक्त नामों की सिफारिशें बुलवाई जा सकेंगी।
- (ख) स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के अनुमोदन से एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, उपयुक्त प्रस्तावों के अभाव में फ़ैलोशिप न देने का निर्णय भी समिति ले सकेगी।
- (ग) समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा फ़ैलोशिप प्रदान करने का निर्णय लिया जायेगा। यह निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

9. संवितरण अधिकारी— स्वाधीनता फ़ैलोशिप संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल द्वारा वितरित की जावेगी।

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्रमांक एफ 9-4-सं.-तीस-06 राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत "अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान" स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :-

1. सम्मान का नाम

यह सम्मान "अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद राष्ट्रीय सम्मान" के नाम से जाना जावेगा।

2. उद्देश्य

स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा की पावनता एवं गौरव को पुर्नप्रतिष्ठित करने तथा इस क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के उद्देश्य से यह सम्मान स्थापित किया गया है।

3. संख्या

यह सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। यह "एकल" सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जाएगा।

4. सम्मान की राशि

इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में 2.00 लाख (दो लाख) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जाएगी।

5. पात्रता

यह सम्मान स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति और समाजसेवा के क्षेत्र में समग्र रचनात्मक अवदान, सृजनात्मकता एवं विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करने वाले साधनारत मनीषी/संस्था को दिया जाएगा।

6. अन्य शर्तें

सम्मान के लिए प्रतिष्ठियां आमंत्रित करने के लिये प्रतिवर्ष प्रमुख राष्ट्रीय/प्रादेशिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रभक्ति एवं समाजसेवा के आदर्शों के अनुसार कार्य करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों तथा प्रदेश के/राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं इतिहास तथा स्वाधीनता संग्राम के क्षेत्र में सक्रिय शोध संस्थानों से भी सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे।

7. चयन प्रक्रिया

- सम्मान के चयन के लिये प्रतिवर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मण्डल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर म.प्र. शासन संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मण्डल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों, समाज शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी।

- सम्मान चयन के लिए न्यूनतम पाँच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी।
- सम्मान के चयन का मापदंड संबंधित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध और निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय, अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जावेगा।
- निर्णायक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियाँ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मण्डल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि निर्णायक मण्डल सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।
- इस सम्मान में एक बार पुरस्कृत व्यक्ति/संस्था को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मण्डल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मण्डल द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेगी।
- सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किए जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मण्डल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसार्यें प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मण्डल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जा सकेगी।

8. संवितरण अधिकारी

यह सम्मान प्रतिवर्ष संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा।

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्र. एफ/1601/2319/08/सं/तीस राज्य शासन, एतद् द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :

1. सम्मान का नाम

यह सम्मान महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान के नाम से जाना जावेगा।

2. उद्देश्य

यह सम्मान सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता, श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिये सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।

3. संख्या

यह सम्मान प्रति वर्ष प्रदान किया जायेगा। यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।

4. सम्मान की राशि

इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में **रुपये 2.00 लाख** (दो लाख रुपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी।

5. पात्रता

यह सम्मान सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक समरसता, श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान करने वाले साधनारत व्यक्ति/संस्था को दिया जायेगा।

6. अन्य शर्तें

सम्मान के लिए देश-प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी।

7. चयन प्रक्रिया

सम्मान के चयन के लिए प्रति वर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मंडल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी।

● सम्मान चयन के लिए न्यूनतम पाँच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी।

● सम्मान के चयन का मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय अनुशंसित व्यक्ति/संस्था का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा।

- निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियाँ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मंडल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि निर्णायक मंडल सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति/संस्था को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।
- इस सम्मान में एक बार सम्मानित व्यक्ति/संस्था को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
- निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित व्यक्ति/संस्था से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेंगी।
- सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति/संस्था द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मंडल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

8. संवितरण अधिकारी

यह सम्मान प्रति वर्ष संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा।

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्र. एफ/1598/2318/08/सं/तीस राज्य शासन, एतद् द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :

1. **सम्मान का नाम**
यह सम्मान महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान के नाम से जाना जावेगा।
2. **उद्देश्य**
यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिये सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
3. **संख्या**
यह सम्मान प्रति वर्ष प्रदान किया जायेगा। यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।
4. **सम्मान की राशि**
इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में **रुपये 2.00 लाख** (दो लाख रुपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी।
5. **पात्रता**
यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान करने वाले साधनारत व्यक्ति/संस्था को दिया जायेगा।
6. **अन्य शर्तें**
सम्मान के लिए देश-प्रदेश के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी।
7. **चयन प्रक्रिया**
सम्मान के चयन के लिए प्रति वर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मंडल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों, शिक्षकों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी।
 - सम्मान चयन के लिए न्यूनतम पाँच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी।
 - सम्मान के चयन का मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय अनुशंसित व्यक्ति का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा।

- निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियाँ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मंडल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
 - यदि निर्णायक मंडल सम्मान के लिए किसी भी व्यक्ति को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।
 - इस सम्मान में एक बार सम्मानित व्यक्ति को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जा सकेगा।
 - निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित व्यक्ति से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
 - निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा। घोषणा के पूर्व सभी कार्यवाही गोपनीय रहेंगी।
 - सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित व्यक्ति द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
 - विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मंडल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।
- 8. संवितरण अधिकारी**
यह सम्मान प्रति वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा।

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्बन्धित नियम निम्नानुसार है :-

क्र. एफ/10-02/13/सं/तीस राज्य शासन, एतद् द्वारा स्वराज संस्थान संचालनालय के अंतर्गत वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान स्थापित कर सम्मान प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करता है :

1. **सम्मान का नाम**
यह सम्मान वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान के नाम से जाना जावेगा।
2. **उद्देश्य**
यह सम्मान देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को सम्मानित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया।
3. **संख्या**
यह सम्मान प्रति वर्ष प्रदान किया जायेगा। यह 'एकल' सम्मान होगा अर्थात् यह सम्मान संयुक्त रूप से नहीं दिया जायेगा।
4. **सम्मान की राशि**
इस सम्मान के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में **रुपये 2.00 लाख** (दो लाख रुपये) की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान पट्टिका प्रदान की जायेगी।
5. **पात्रता**
यह सम्मान देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण एवं श्रेष्ठतम उपलब्धियों व योगदान के लिए महिला को दिया जायेगा।
6. **अन्य शर्तें**
सम्मान के लिए देश-विदेश के महिला उत्थान एवं सशक्तीकरण क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, महिलाकर्मियों, समाजशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, समीक्षकों, पत्रकारों से सम्मान हेतु अनुशंसा/नामांकन की प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाएंगी।
7. **चयन प्रक्रिया**
सम्मान के चयन के लिए प्रति वर्ष उच्च स्तरीय निर्णायक मंडल का गठन स्वराज संस्थान संचालनालय के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा किया जावेगा। निर्णायक मंडल में देश-प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजसेवी, बुद्धिजीवियों, समाजशास्त्रियों, लेखकों, पत्रकारों एवं विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जायेगा। सदस्यों को आमंत्रण तथा बैठक के संयोजन की कार्यवाही संचालक, स्वराज संस्थान द्वारा की जावेगी।
 - सम्मान चयन के लिए न्यूनतम पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया जायेगा, जबकि कोरम के लिए तीन सदस्यों की उपस्थिति एवं निर्णय में सहभागिता आवश्यक होगी।

- सम्मान के चयन का मापदण्ड सम्बन्धित क्षेत्र में उच्च कोटि की सृजनात्मकता, विशिष्ट उपलब्धि, अनवरत साधना तथा असंदिग्ध एवं निरपवाद योगदान रहेगा। चयन के समय अनुशंसित महिला का सृजनात्मक रूप से सक्रिय होना अनिवार्य है। सम्मान हेतु अनुशंसित प्रविष्टि के समग्र रचनात्मक अवदान पर विचार किया जायेगा।
- निर्णायक मंडल के समक्ष प्रस्तुत प्रविष्टियाँ/अनुशंसाओं के अतिरिक्त निर्णायक मंडल स्वविवेक से अन्य नामों पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- यदि निर्णायक मंडल सम्मान के लिए किसी भी महिला को उपयुक्त नहीं पाता है तो उस वर्ष यह सम्मान किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।
- इस सम्मान से एक बार सम्मानित महिला को पुनः यह सम्मान प्रदान नहीं किया जायेगा।
- निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेकर अपनी अनुशंसा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। निर्णायक मंडल का निर्णय शासन के लिए बंधनकारी होगा। निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित महिला से सम्मान ग्रहण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- निर्णायक मंडल की अनुशंसा पर शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही यह सम्मान घोषित किया जावेगा।
- सम्मान घोषित हो जाने के बाद, सम्मानित महिला द्वारा इसे स्वीकार न किये जाने पर उस वर्ष किसी अन्य को यह सम्मान नहीं दिया जा सकेगा।
- विशिष्ट परिस्थितियों में यदि निर्णायक मंडल सर्वसम्मति से निर्णय लेने में असमर्थ रहता है और एक से अधिक अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में शासन को निर्णायक मंडल की अनुशंसा अस्वीकार करने का अधिकार होगा और यह चयन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

8. संवितरण अधिकारी

यह सम्मान प्रति वर्ष संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा वितरित किया जायेगा।

अध्याय – चौदह (मैनुअल-14)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाएँ

संचालनालय की वेबसाइट www.swarajsansthan.org से उपलब्ध सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

अध्याय – पंद्रह (मैनुअल-15)

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

स्वराज संस्थान संचालनालय अंतर्गत डॉ. शंकरदयाल शर्मा राज्य संग्रहालय एवं वाचनालय में संदर्भ वाचनालय स्थापित है। शोधार्थियों एवं नागरिकों के लिए कार्य दिवसों के कार्यालयीन समय में वाचन कक्ष उपयोग हेतु उपलब्ध है।

अध्याय – सोलह (मैनुअल – 16)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी

श्री संजय यादव, सहायक संचालक

फोन : 0755-2660563, 2660407 (का.) 2420604 (नि)

फैक्स : 0755-2660361

ई-मेल : swarajbhavan@gmail.com, swarajbhawan2@gmail.com

विभागीय अपीलीय अधिकारी

श्री पंकज राग, आयुक्त-सह-संचालक

फोन : 0755-2708451, 2708455 (का.)

ई-मेल : cmantaralaya@gmail.com, psculture30@gmail.com

अध्याय – सत्रह (मैनुअल-17)

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा स्वराज भवन सभागार आरक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित आवेदन-पत्र एवं शुल्क आदि का विवरण मैनुअल में उल्लेखित किया गया है। सभागार की उपलब्धता की सूचना उपलब्ध नहीं होने पर आयुक्त सह संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को अपील की जा सकती है।